एकल खिडकी प्रणाली- वि.प.स. मामलों की संवीक्षा/ संसाधन संबंधी प्रक्रिया

क्रम सं.	एकल खिड़की प्रणाली (एस.डब्ल्यू.एस.) के तहत तत्काल संवीक्षा के लिए जांच करने वाले बिंदु
1.	**भर्ती नियम**
(क)	क्या अधिसूचित भर्ती नियमों की गजट प्रति संलग्न की गई है :
(ख)	क्या भर्ती नियमों में संघ लोक सेवा आयोग के साथ या परामर्श की व्यवस्था है ?
(ग)	क्या रिक्ति के अस्तित्व में आने की तारीख को भर्ती नियम लागू हैं (उन मामलों में जहां पिछले वर्षो के लिए पैनल तैयार किया जाना शामिल है, क्या उस समय लागू होने वाले संगत नियमों की प्रतियां संलग्न की गई है ।
(घ)	जहां भर्ती नियमों में कोई छूट शामिल है । यदि हां तो क्या कार्मिक तथा प्रशिक्षण अनुभाग से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने संबंधी नोट/ पत्राचार की प्रतियां संलग्न की गई हैं ।
2.	**वरिष्ठता सूची**
(क)	क्या विधिवत रूप से परिचालित वरिष्ठता सूची (परिपत्र सहित) संलग्न है ?
(ख)	क्या वरिष्ठता सूची कम से कम अवर सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा प्रमाणित है ;
3.	**पात्रता सूची**
(क)	क्या दिए गए वर्षवार पैनल तैयार करने के लिए अलग से वर्षवार पात्रता सूची तैयार की गई है, जहां कहीं लागू हो ।
(ख)	क्या पात्रता सूची को कम से कम अवर सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया है ;
4.	**वि.प.स. के लिए नोट**
(क)	क्या वि.प.स. के लिए एक स्वत: स्पष्ट नोट अवर सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया गया है (वि.प.स. के बारे में एक मॉडल नोट सभी मंत्रालयों/ विभागों को परिचालित किया गया था ।
5.	**वि.प.स. प्रोफार्मा**
(क)	क्या संघ लोक सेवा आयोग को वि.प.स. संबंधी प्रस्ताव भेजने संबंधी प्रोफार्मा (सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) जैसा कि का. तथा प्र.वि. के का.ज्ञा.सं.22011/5/86-स्था.(घ) दिनांक 10.4.89 में दिया है, संलग्न है ।
6.	**वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट**
(क)	क्या का. तथा प्र.वि. के दिनांक 14.5.2009 तथा 13.4.2010 के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है ;
(ख)	क्या सभी पात्र अधिकारियों के बारे में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का वर्षवार उपलब्धता विवरण संलग्न है ;
7.	**सतर्कता निर्बाधन**
(क)	क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित सतर्कता निर्बाधन प्रमाण पत्र (वी.सी.) संलग्न है ;
(ख)	क्या सभी पात्र अधिकारियों के संबंध में सतर्कता निर्बाधन प्रमाण पत्र उनके नाम से (यदि अधिकारियों की संख्या कम अर्थात 15 से अधिक नहीं है तो तत्काल संवीक्षा की जाए) प्राप्त किए गए हैं ।
8.	**सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र**
(क)	क्या निर्धारित प्रपत्र में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (का. तथा प्र.वि. के दिनांक 10.4.1989 के का.सा.सं.22011/5/86-स्था.(घ) के पैरा 4.2.5 के पैराग्राफ में दिए गए प्ररूप के अनुसार) जो उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया गया है ;
(ख)	क्या सभी पात्र उम्मीदवारों के संबंध में विशेष रूप से उनके नाम से सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र अभिलेखबद्ध कर लिए गए हैं (यदि अधिकारियों की संख्या कम अर्थात15 से अधिक नहीं है तो उसी समय संवीक्षा की

	जाए ।
9.	**शास्तियां**
(क)	क्या पिछले 10 वर्ष के दौरान अधिकारी पर अधिरोपित की गई शास्तियों का विवरण संलग्न है ?
10.	**विविध**
(क)	क्या मंत्रालय/ विभाग के जनसम्पर्क अधिकारी (अ.जा./ अ.ज.जा.) से इस आशय का प्रमाण पत्र ले लिया गया है कि अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की उनके द्वारा जांच कर ली गई और सही क्रम में पाया गया है तथा इसे कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.4.2004 के का.ज्ञा.सं. 22011/1/99-स्था.(घ) के अनुसार संलग्न किया गया है ।
(ख)	क्या वि.प.स. द्वारा पहले अनुशंसित सभी अधिकारियों की पदोन्न्ति कर दी गई है (ऐसे आदेश की प्रतियां संलग्न की गई हैं अथवा नहीं) ।
(ग)	क्या पहली वि.प.स. को सूचित सभी रिक्तियां भर दी गई हैं
11.	**सम्पूर्णता प्रमाण पत्र**
(क)	क्या पदनामित अधिकारी का प्रमाण पत्र (संयुक्त सचिव/ अपर सचिव या समकक्ष) का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रस्ताव का.तथा प्र.विभाग की जांच सूची के अनुसार पूर्ण है, संलग्न किया गया है
12.	**विविध**
(क)	क्या प्रस्ताव के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ?